

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28/10/24

पत्रावली पेश हुई। क्लरिफिकेशन पत्रावली वास्तु  
किस दिनांक 02/12/2024 को पेश की

02/12/2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।  
उभय पक्ष वकील उपस्थित। उभय पक्ष वकील क्लरिफिकेशन  
सुनी गयी। उभय पक्ष क्लरिफिकेशन एवं पत्रावली में उपलब्ध  
हस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना का प्रार्थना-पत्र  
अंतर्गत धारा 212 राज. का. अ. अधिनियम 1958 के  
तहत अस्थायी निवेद्यता के तिनो बिन्दु प्रथम हस्त्या  
मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय सारी  
प्रार्थना के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः प्रार्थना का  
प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार  
किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 22-03-2024 को  
जारी अस्थायी निवेद्यता को मूल वाद के निस्तार  
तक क्लरिफिकेशन किया जाता है। पत्रावली केस नम्बर होकर  
उर्ज नम्बर से कम होकर वाद तन्मील शामिल इफ्तार है।  
निर्णय आज दिनांक 02-12-2024 को अंग्रेजी  
लिख जाकर सारे- इजलास सुनाया गया।



सहायक क्लरिफिकेशन  
द्वारा (फलोदी)